संख्या-47/2016/2340/33-3-2016-100(11)/2014टीसी

प्रेषक,

महेन्द्र कुमार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 08 सितम्बर, 2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स निर्माण हेतु अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जाति सबप्लान) के अन्तर्गत धनराशि आवंटित किए जानें के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 5/3257/2016-5/99/2016 दिनांक 05 सितम्बर, 2016 के संदर्भ में समग्र ग्राम विकास विभाग के शासनादेश संख्या-447/66-2012-05/2012, दिनांक 17-05-2012 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत आंतरिक गलियों एवं नालियों के निर्माण के संबंध में में पंचायती राज अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 1266/33-2-2012-4आर0डी0/12, दिनांक 13 जून, 2012 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंध एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 में दिये गये दिशा-निर्देशों क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या- 83 के अन्तर्गत 2016-17 उक्त योजना के लिए अनुपूरक मांग के माध्यम से प्रावधानित रू0 600.00 लाख के सापेक्ष शत शत प्रतिशत धनराशि रू0 600.00 (रू0 छह करोड मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग समाज कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा । इतर वयय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2016-17 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/ उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कडाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि संबधित जिला पंचायत राज अधिकारियों को आवंटित की जायेगी, जो इस आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे। संबधित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपाजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल. पद्धति से व्यय करेंगे। अध्ष्ठिान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष " 1054'सडक तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियों -01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखा शीर्षक" 0515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्म -800-अन्य प्राप्तियों -02-प्रतिशतता प्रभारी की वसूली " में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध कराये गये जनपदवार फॉट के कालम संख्या- 10 में अंकित धनराशि रू 1.118 लाख निदेशक, पंचायती राज कार्यालय स्तर पर आहरित की जायेगी, अवशेष धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आहरित कर संबंधित फॉट में इंगित स्तर पर उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीक़ृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के "लेखाशीर्षक 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिव विशेष घटक योजना-05- समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टर लाकिंग टाइल्स की व्यवस्था- 24-ब़हत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय योजना आयोग भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) शासकीय व्यय में मितब्यतता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितब्यतता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- सीए-934/दस-2008-मित-1/2007 दिनांक 2-9-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(10 निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आंवटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(11) जनपद स्तर पर निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि नोडल अधिकारी/जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करनें के उपरान्त कार्य एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होते हुए अगले 02 माह के लिए धनराशि नोडल अधिकारी/ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। अनिवार्य रूप से नोडल अधिकारी द्वारा गुणवत्ता एवं आवंटित धन के सापेक्ष कार्यो की स्थलीय निरीक्षण/प्रगति से प्रतिमाह शासन को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीक़ति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य कर ली जाय।

(13) उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर निदेशक,पंचायती राज स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होंगे। साथ ही साथ जनपदवार फॉट के सही होने का दायित्व भी निदेशक, पंचायती राज का होगा।

2- यह ओदश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 में प्राप्त अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(महेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग/वित्त विभाग/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग,उ0प्0शासन।
3- निदेशक एवं मुख्य मुख्य अभियन्ता,ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0, लखनऊ।
4- समस्त जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ//कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6- समस्त मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ,लखनऊ।
8- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
9- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 हेतु चयनित ग्रामों में सी0सी0 रोड के साथ नाली या के0सी0 ड्रेन निर्माण हेतु आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि

अनुदान संख्या-83 (एस0सी0पी0) (धनराशि लाख में)

क्र. स.	जनपद का नाम	जिन ग्रामों को धनराशि दी जानी है उनकी संख्या	कार्यदायी संस्था/ जिलाधिकारी द्वारा कार्य योजना मे अनुदान संख्या-83 के अनुसार कुल मांग	;ktukन्तर्गत अनुदान संख्या-83 मे जनपद को dy आवंटित धनराशि	शेष आवश्यकता	आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि			कालम संख्या-7 के सापेक्ष कार्यालय व्यय/कन्टीजेन्सी हेतु 02 प्रतिशत धनराशि का फॉट							सी0सी0 रोड एवं के0सी0ड्रेन हेतु वास्तविक प्रस्तावित धनराशि (7-16)
						सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन का निर्माण (कार्यान्श) 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी सहित	अधिष्ठान अंश 6.875 प्रतिशत की धनराशि	कुल योग	पंचायती राज निदेशालय स्तर पर (0.20 प्रतिशत)	आर.ई.एस. हेतु जनपद स्तर पर (1.50 प्रतिशत)	मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	सहायक विकास अधिकारी कार्यालय स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	कालम संख्या 11+12+13+14 का योग	कुल योग (कालम 10+15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	चन्दौली	8	160.000	0.000	160.000	149.000	11.000	160.000	0.298	2.235	1.490	0.149	0.149	4.023	4.321	144.679
2	बलिया	6	140.000	0.000	140.000	130.375	9.625	140.000	0.261	1.956	1.304	0.130	0.130	3.520	3.781	126.594
3	मथुरा	6	120.000	0.000	120.000	111.750	8.250	120.000	0.224	1.676	1.118	0.112	0.112	3.017	3.241	108.509
4	गाजीपुर	7	180.000	0.000	180.000	167.625	12.375	180.000	0.335	2.514	1.676	0.168	0.168	4.526	4.861	162.764
कुल		27	600.000	0.000	600.000	558.750	41.250	600.000	1.118	8.381	5.588	0.559	0.559	15.086	16.204	542.546

(रूपया छः करोड रूपये मात्र)

नोटः कालम संख्या-10 की धनराशि निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 तथा कालम संख्या- 8, 15 व 17 में इंगित धनराशि जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी/ आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित को उपलब्ध करायी जायेगी।